न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—07/2011/76 (2011/00059)

1. सोनाराम पुत्र प्रताप, जाति रेगर, निवासी ब्यावर खास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 20.09.2004.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—12.10.2018

1. यह अपील विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक दिनांक 20.09.2004 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संवत् 2061 में ग्राम ब्यावर खास के खसरा नंबर 237 किस्म दांती रकबा 48.09 बीघा भूमि सिवायचक में से 7 बिस्वा भूमि पर पोल्ट्री फॉर्म व 1 बीघा भूमि पर कब्जा सोनाराम पुत्र हजारी रेगर, निवासी ब्यावर खास द्वारा करने पर पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 भू—राजस्व अधि0 के तहत रिपोर्ट पेश किये जाने पर नायब तहसीलदार, ब्यावर ने अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये । अप्रार्थी के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधी0न्याया0 नायब तहसीलदार, ब्यावर ने आदेश दिनांक 17.8.2004 द्वारा अप्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने तथा विवादित भमि बेदखल कर कब्जा राजहक में लिये जाने एवं लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर वसूल किये जाने के आदेश पारित किये । नायब तहसीलदार, ब्यावर के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रथम अपील विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की । विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 20.9.2004 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर ग्राम ब्यावर खास का निवासी है जिसका ग्राम ब्यावर खास में अवस्थित साबिक खसरा नंबर 102 हाजल 237 रकबा लगभग 6 बीघा पर संवत् 2020 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसमें से लगभग 1 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा सन् 1986 में पोल्ट्रीफॉर्म बनाया गया था जिसमें आज भी पोल्ट्रीफॉम चल रहा है एवं शेष आराजियात पर अपीलांट विगत 46 वर्षो से काश्त कर अपना जीविकोपार्जन करता आ रहा है । विवादित आराजियात से बेदखल करने हेतु अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 277/95 धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत बेदखली का प्रकरण दर्ज किया गया था था उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने दिनांक 18.10.1995 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें विवादित भूमि पर पोल्ट्रीफॉम होना बताया तथा तथा किसी प्रकार का विवाद होना नहीं बताया है । उक्त प्रकरण में तहसीलदार, ब्यावर ने दिनांक 20.11.1995 को आदेश पारित किये तथा 1 बीघा भूमि पर पोल्ट्रीफॉम होने से आवंटन/नियमन करने की सिफारिश की गई एवं शेष आराजियात पर कदीमी कब्जा काश्त होने से अपीलांट को नियमन किये जाने की सिफारिश की गई थी । उक्त आदेश की पालना में अपीलांट के पक्ष में सिफारिश करने के बजाय नायब, तहसीलदार ब्यावर द्वारा पुनः अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 54/2004 दर्ज कर वादीग्रस्त आराजियात से अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 23.7.2004 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया । अपीलांट के प्रकरण में नियमन के संबंध में पत्रावली तहसीलदार, ब्यावर द्वारा भूमि आवंटन नियम 1958 के तहत निर्णय दिनांक 20.11.1995 के आधार पर जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित कर रखी है एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध चुन्नीलाल वगैरह ने चुन्नीलाल बनाम सोनाराम के नाम से विद्वान अपर कलक्टर, अजेर के समक्ष अपील संख्या 103/95 प्रस्तुत की जो दिनांक 2.9.1996 को निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध मा0राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 83/96 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 18.1.2002 को निरस्त की गई इस प्रकार दिनांक 20.11.1995 को तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित नियमन का आदेश मा0 राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है । तहसीलदार, ब्यावर ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर दिनांक 3.12.2010 को अपीलांट के विरूद्ध जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/10/2219 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलांट के पोल्ट्रीफॉर्म को ध्वस्त करने व बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2004 एवं तहसीलदार, ब्यावर द्वज्ञरा प्रदत्त निर्णय दिनांक 3.12.2010 निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजियात अपीलांट के हक में नियमित की जाकर अधिकार अभिलेख में अपीलांट को बहेसियत खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का प्रकरण आदेश दिनांक 20.9.2004 को तहसीलदार, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया था किन्तु इससे पूर्व तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 20.11.1995 को विवादित भूमि अपीलांट के हक में नियमन करने की सिफारिश की थी जो मान0 राजस्व मण्डल तक यथावत रही । इसी कारण प्रतिप्रेषित

प्रकरण में अपीलांट ने विवादित भूमि नियमन करने का निवेदन किया लेकिन सभी निर्णयों को नजरअंदाज कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश दिनांक 3.12.2010 को पारित कर दिया । इस प्रकार दिनांक 20.9.2004 से दिनाक 3.12.2010 तक का समय तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में व्यतित हो गया इस कारण उक्त अवधि तक अपीलांट आदेश दिनांक 20.9.2004 की अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था । आदेश दिनांक 3.12.2004 से 60 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.9.2004 के विरूद्ध सन् 2010 में अपील प्रस्तुत की है जो भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा विलंब के कारण भी संतोषप्रद अंकित नहीं किये है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये थे कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की पालना में अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित किया गया है अथवा नहीं अपीलांट ने अपील में अवगत नहीं कराया है । अपीलांट ने तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 3.12.2010 को पारित आदेश 3.12.2010 द्वारा अपीलांट का पोल्ट्रीफॉर्म घ्वस्त किये जाने के आदेश के उपरांत अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है किन्तु उक्त निर्णय में क्या त्रुटि है यह स्पष्ट नहीं किया है । अपीलांट को तहसीलदार, ब्यावर के आदेश दिनांक 3.12.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत् 2061 में ग्राम ब्यावर खास के खसरा नंबर 237 किस्म दांती रकबा 48.09 बीघा भूमि सिवायचक में से 7 बिस्वा भूमि पर पोल्ट्री फॉर्म व 1 बीघा भूमि पर कब्जा सोनाराम पुत्र हजारी रेगर, निवासी ब्यावर खास द्वारा करने पर पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के तहत रिपोर्ट पेश किये जाने पर नायब तहसीलदार, ब्यावर ने अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये । अप्रार्थी के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधी0न्याया0 नायब तहसीलदार, ब्यावर ने आदेश दिनांक 17.8.2004 द्वारा अप्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने तथा विवादित भमि बेदखल कर कब्जा राजहक में लिये जाने एवं लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर वसूल किये जाने के आदेश पारित किये । नायब तहसीलदार, ब्यावर के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रथम अपील विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की । विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 20.9.2004 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया जिसमें यह निर्देश दिये कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान

कर नये सिरे से आदेश पारित करे । अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.9.2004 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट ने अपने अपील मीमों में अवगत नहीं कराया है कि अधी0न्याया0 अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 20.9.2004 में क्या त्रुटि की गई है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर सवंत् 2020 से लगातार अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें पोल्ट्रीफॉर्म सन् 1987 से बना हुआ है तथा शेष भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । तहसीलदार, ब्यावर ने अपीलांट के विरूद्ध चले राजस्व मुकदमा संख्या 277/95 सरकार बनाम सोनाराम अंतर्गत धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.1995 द्वारा अपीलांट की उक्त कब्जेशुदा आराजियात को नियमन करने की सिफारिश जिला कलक्टर को प्रेषित कर रखी है । तहसीलदार, ब्यावर के उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर तत्पश्चात् मान0 राजस्व मण्डल में चुन्नीलाल वगै0 बनाम सोनाराम वगैर से अपील एवं निगरानी में भी तहसीलदार, ब्यावर के निर्णय दिनांक 20.11.1995 को बहाल रखा गया है तथा उक्त प्रकरणों में तहसीलदार, ब्यावर व पंचायत, ब्यावर भी पक्षकार थे जिससे उन्हें उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थी। अपीलांट का यह कथन सही है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपनी बहस में यह भी अंकित नहीं किया है कि अधी0न्याया0 अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.9.2004 में क्या त्रुटि रही है तथा उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरांत प्रकरण में कार्यवाही हुई है । जहां तक विवादित भूमि पर अपीलांट के निर्मित्त पोल्ट्रीफॉर्म को ध्वस्त किये जाने का प्रश्न है यह तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अलग प्रकरण दर्ज कर दिनांक 3.12.2010 को कार्यवाही की गई है । तहसीलदार, ब्यावर के आदेश दिनांक 3.12.2010 को अपर कलक्टर, अजमेर के पूर्व आदेश दिनांक 20.9.2004 के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है । जहां तक अपीलांट के पक्ष में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पूर्व में नियमन किये जाने की सिफारिश के मान0 राजस्व मण्डल तक यथावत् रहने का प्रश्न है इस संबंध में कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 20.9.2004 में क्या त्रुटि है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 20.9.2004 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 20.9.2004 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर